RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

Azadi Ka Amrit Mahotsav

विविध रसद प्रकरण सं. 01/2025

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी–
श्री जसराज पुत्र श्री खीमाराम निवासी वार्ड संख्या 36, बालोतरा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 26.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 17.01.2025 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स पवन डिस्पोजल पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री जसराज उपस्थित मिले। मौके पर 33 गैस वाल्व एवं 7 बासुरी का संग्रहण वक्त जांच पाया गया।

2. प्रार्थी ने कथन किया कि मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये 33 गैस वाल्व एवं 7 बासुरी से संबंधित अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त 33 गैस वाल्व एवं 7 बासुरी को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा रेगुलेटर को मैसर्स गगराणा गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री भुटटे खां को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा 33 गैस वाल्व एवं 7 बासुरी राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी स्वयं बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. हमने सरकारी पैरोकार की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर पाये गये 33 गैस वाल्व एवं 7 बासुरी से संबंधित अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त गैस वाल्व एंव बासुरी को उक्त रेगुलेटर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स गगराणा गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री भुटटे खां को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तसुदा गैस वाल्व एवं बासुरी से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के रेगुलेटर राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7 (1) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त रेगुलेटर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री रेगुलेटर का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें।

7. आदेश आज दिनांक 26.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा